कार्यालय जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, अलवर

(जिला न्यायालय परिसर)

Email-Id :- dlsa2alwar@gmail.com Phone:- 0144-2940098

क्रमांकः– 122 दिनांकः– 09/04/2024

वाहन किराये पर लेने हेतु सूचना

जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, अलवर कार्यालय में दिनांक 01.03.2024 से दिनांक 28.02.2025 हेतु 01 महेन्द्रा बोलरो वाहन 07 सीटर वातानुकूलित किराये पर लिये जाने हेतु प्रतिष्ठित अनुभवी व्यक्ति वाहन स्वामी/ठेकेदार/फर्म से संलग्न प्रारूप में शर्तो तथा शरायतो के अध्यधीन मोहरबन्द प्रस्ताव आमंत्रित किये जाते है।

पूर्णरूप से भरे हुए सीलबन्द प्रस्ताव दिनांक 22.04.2024 को प्रात 11:00 बजे तक अध्यक्ष उपापन समिति एवं सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण अलवर के कार्यालय मे जमा करवाये जा सकते है। निविदा उसी दिवस दोपहर 12:00 बजे समिति के समक्ष खोली जायेगी। प्रस्ताव पत्र का प्रारूप व शर्ते एवं शरायते जिला न्यायालय अलवर की वेबसाइट :districts.ecourts.gov.in/alwar पर देखी जा सकती है एवं डाउनलोड की जा सकती है तथा इस कार्यालय के नोटिस बोर्ड पर भी देखी जा सकती है।

sd/-
अध्यक्ष
उपापन समिति
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण
अलवर।

क्रमांक :– 2640–2642 दिनांकः–09/04/24

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:–

1. श्रीमान् अध्यक्ष महोदय, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, अलवर।
2. सिस्टम ऑफिसर जिला एवं सेशन न्यायालय अलवर की वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित है।
3. नोटिस बोर्ड जिला विधिक सेवा प्राधिकरण अलवर।
4. कार्यालय प्रति

अध्यक्ष
उपापन समिति
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण
अलवर।

जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, अलवर

जिला न्यायालय परिसर, अलवर)

किराये के वाहन हेतु प्रस्ताव

1. प्रस्तावक का नाम व पूरा पताः ....

   ....

2. दूरभाष नं. ....

3. आम–सूचना संख्या .... दिनांक ....

4. किराये के वाहन उपलब्ध करवाये जाने हेतु विभाग की समस्त निबन्धनों एवं शर्तो की पालना करने में मैं/हम सहमत हैं तथा सभी शर्तो एवं निबन्धनों, जो संलग्न पृष्ठों में दी गई है, कों मेरे/हमारे द्वारा स्वीकार किये जाने के प्रतीक स्वरूप मैंने/हमने हस्ताक्षर कर दिये है।
5. मेरे/हमारे द्वारा कुल .... वाहन किराये पर उपलब्ध करवाने हेतु इस बोली प्रपत्र के साथ वाहन का विवरण अंकित कर दिया गया है।
6. मैं/हम दिनांक 28.02.2025 तक की अवधि तक वाहन उपलब्ध करवाये जाने हेतु बाध्य है।
7. फर्म का जी.एस.टी. पंजीयन क्रमांकः ....
8. बैंक का नाम .... शाखा का नाम ....

   .... आईएफएससी कोड ....
9. PAN No. ....

10- पिछले 3 वर्षो के कार्य का विवरण ....

....

....

11- मैं/हम जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, अलवर द्वारा जारी की गयी आम सूचना में वर्णित सभी शर्तो से बाध्य होना स्वीकार करते हैं।

प्रस्तावक के हस्ताक्षर व मोहर
मय पता व मोबाईल नम्बर

जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, अलवर
(जिला न्यायालय परिसर, अलवर)

शर्ते एवं शरायतें

1. सम्पूर्ण अलवर न्यायक्षेत्र के लिये कुल 01 वाहन (बोलेरो वातानुकूलित 7 सीटर) किराये पर लिया जाना है।
2. किराये का वाहन 28.02.2025 तक की अवधि में उपलब्ध करवाया जाना है, परन्तु परिस्थिति व सहमति से इस अवधि की संतोषप्रद सेवाएं रहने पर अनुबन्ध अवधि को आगे बढाया जा सकता है।
3. प्रस्ताव किसी भी व्यक्ति स्वामी/फर्म/ट्रेवल एजेन्सी द्वारा दिए जा सकते है।
4. उपलब्ध करवाया जाने वाला वाहन (बोलेरो) टैक्सी (TAXI) के रूप में रजिस्टर्ड होना चाहिए।
5. वाहन 6 वर्ष से अधिक पुराना नहीं होगा। विशेष परिस्थितियों में सक्षम स्वीकृति से उक्त अवधि को 02 वर्ष तक बढाया जा सकेगा।
6. वाहन मालिक का वाहन चालक स्वच्छ पोशाक में होगा एवं वाहन को साफ–सुथरा रखेगा।
7. वाहन चालक वैद्य वाणिज्य वाहन (Commercial Vehicle) चलाने का सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुज्ञा पत्र धारक होना आवश्यक है।
8. वाहन मालिक को किराये पर उपलब्ध करवाये गये वाहन पर एक प्लेट यंह उद्यत करते हुए कि वाहन राजकीय कर्त्तव्य पर है, उपलब्ध करवानी होगा।
9. वाहन को यथा संभव कार्यालय परिसर में ही खडा किया जावेगा (लेकिन जोखिम वाहन मालिक की होगी)
10. वाहन के प्रभारी अधिकारी द्वारा वाहन के कर्त्तव्य का समय निर्धारित किया जावेगा। वाहन के उपयोग हेतु कर्त्तव्य स्थान (Duty Point) से दूरी व समय की गणना के अनुसार वाहन की लॉग बुक भरी जावेगी। लॉग बुक निर्धारित प्रारूप में वाहन मालिक को वाहन के साथ उपलब्ध करवानी होगी।
11. वाहन मालिक द्वारा किसी दिनांक को वाहन उपलब्ध नहीं करवाया जाता है तो शस्ति रू. 2,000/– (दो हजार रूपये) प्रतिदिन आरोपित की जावेगी तथा किराये पर अन्य वाहन लेने की स्थिति में यदि अतिरिक्त भुगतान किया जाता है तो अधिक भुगतान की वसूली वाहन स्वामी से की जावेगी।
12. वाहन की मरम्मत, पेट्रोल/डीजल/ऑयल आदि व्यय वाहन स्वामी द्वारा वहन किया जावेगा।
13. वाहन वाहन मालिक को वाहन किराये का भुगतान वित्त विभाग के परिपत्र दिनांक 19.07.2018, 31.03.2021, 05.04.2022 एवं 03.10.2023 के अन्तर्गत दी गयी शर्तो एवं दरों के अनुसार किया जावेगा।

14. यदि वित्त विभाग द्वारा उक्त दरों में भविष्य में या अनुबन्ध अवधि में कोई संशोधन किया जाता है तो संशोधित दरों से भुगतान किया जावेगा।
15. उक्त भुगतान योग्य राशि के अतिरिक्त पथकर का पुनर्भरण वाहन स्वामी को पथकर की रसीद प्रस्तुत करने पर किया जावेगा। पथकर के अलावा समस्त कर वाहन स्वामी द्वारा वहन किये जावेंगे।
16. सभी विधिक कटौतियां जैसे आयकर (टी.डी.एस.), सेवाकर इत्यादि, भुगतान के समय लागू विधि/नियमों के अनुसार की जाकर भुगतान किया जावेगा।
17. मुख्यालय के अलावा किसी अन्य स्थान पर रात्रि विश्राम के मामले में चालक को प्रति रात्रि 300/—रू. भुगतान किया जावेगा।
18. सफल प्रस्तावक (वाहन प्रदाता) को 500/—के **Non-Judicial Stamp Paper** पर अनुबन्ध का निष्पादन करना होगा।
19. चूंकि यह निविदा प्रस्ताव नहीं है तथा वाहन किराये पर लिये जाने हेतु पैनल तैयार किया जाना है, अतः प्रस्ताव के साथ प्राप्त हुए दस्तावेजों एवं कार्य अनुभव एवं अन्य बातों को मद्देनजर रखते हुए गुणावगुण के आधार पर वाहन किराये पर लिये जाने का अंतिम निर्णय विभाग का होगा।
20. इच्छुक प्रस्तावक अपना प्रस्ताव संलग्न प्रारूप में भरकर नियत तिथि दिनांक 22.04.2024 को प्रातः 11.00 बजे तक निम्न दस्तावेजों के साथ जिला विधिक सेवा प्राधिकरण अलवर के कार्यालय में अनिवार्य रूप से प्रस्तुत करेगा, जो कि उसी दिवस दोपहर 12:00 बजे खोली जावेगी :—
    1. वाहन किराये पर लिए जाने की शर्ते, जिसे स्वीकार करने के साक्ष्य स्वरूप प्रत्येक पृष्ठ पर हस्ताक्षर मय सील के करने होंगे।
    2. किराये पर उपलब्ध करवाये जाने वाले वाहनों का पंजीयन प्रमाण पत्र, बीमा एवं पॉल्यूशन प्रमाण पत्र की प्रमाणित प्रतियां प्रस्तुत करनी होंगी।
    3. वाहन चालक का नाम व उसका वैध अनुज्ञा पत्र की प्रमाणित प्रति।
    4. प्रस्तावक के जी.एस.टी एवं PAN की प्रमाणित फोटो प्रतियां।
    5. जी.एस.टी. का शोधन प्रमाण पत्र (Tax Clearance Certificate)
21. किसी भी विवाद की स्थिति में न्यायिक क्षेत्र अलवर होगा।

प्रस्तावक के हस्ताक्षर व मोहर
मय पता व फोन नम्बर